न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

1/2

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 86/2015

सरकार बनाम बुधन कहार

आदेश

26.12.20

प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13.11.2014 से बुधन कहार पिता स्व0 सीताराम कहार ग्राम+पो0+थाना – राजपुर अंचल – राजपुर जिला – रोहतास के नाम से कायम जामबंदी सं0 – 28/241 के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	3384	0.03 ए0

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गयी। जमाबंदीदार के तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रश्नगत भूमि के भूतपूर्व मालिक चन्द्रनाथ बोस वगै0 थे। पुराना खाता 172 खेसरा 1598 रकबा 13 डी0 एवं खेसरा सं0 2010 एवं 2011 भूतपूर्व मालिक के स्वत्व दखल कब्जा में था कि भूतपूर्व मालिक ने विपक्षी के दादा महाबीर कहार को सन् 1955 में बंदोबस्त कर दिया और रसीद भी निर्गत किए तथा जमीनन्दारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व मालिक ने विपक्षी के दादा के नाम से रिर्टन भी दाखिल किए कि बन्दोबस्ती के समय से ही विपक्षी दादा का दखल कब्जा चला आया वो उक्त भूमि का उपयोग खलिहान के रूप में करने लगे तथा वर्ष 1968–69 तक लगान रसीद भी निर्गत किया। नया सर्वे कार्रवाई के दौरान जमाबंदीदार के दादा के नाम से लगान रसीद निर्गत किया। नया सर्वे कार्रवाई के दौरान जमाबंदीदार के दादा की मृत्यु हो गयी , जमाबंदीदार के दादा अनपढ एवं गवॉर थे और विपक्षी नावालिग था अतएव सर्वे की जानकारी नहीं हो सकी और नया खाता सं0 934 खेसरा सं0 3384 रकबा 13 डी0 किस्म जमीन खलिहान दर्ज हो गया। नया सर्वे इन्द्राज की जानकारी 1978 में हुई जब चकबंदी कार्यवाही चल रही थी विपक्षी ने एक मुकदमा चकबंदी न्यायालय में दाखिल किया जिसका वाद सं0 283/1978–79 पड़ा जिसमें चकबंदी पदाधिकारी ने विधिवत सुनवाई की दिनांक 13.03.1979 को विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया। उक्त चकबंदी कार्यालय में पारित आदेश एवं दखल कब्जा के आधार पर लिपिकीय भूलवश 03 डी0 का दाखिल खारिज हुआ जबकी 13 डी0 का दाखिल खारिज होना चाहीए था । वर्ष 2016 में सर्वे में गलत इन्द्राज के आधार पर अंचल अधिकारी ने 80 सी0पी0सी0 के तहत सबजज बिक्रमगंज में स्वत्व वाद सं0 109/2016 दायर किया , जो न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी का यह भी कहना है कि नया सर्वे खतियान में भी किस्म जमीन खलिहान दर्ज है जो सिद्व करता है कि उक्त जमीन आम जनता या बिहार सरकार का दखल कब्जा नहीं है। इस प्रकार कायम जमाबंदी को यथावत रहने का अनुरोध किया गया है तथा प्रस्तुत न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, रोहतास के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 86/2016 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने वादगत भूमि का आर0एस0 खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :–

(1) बिहार काश्तकारी (संशोधन अधिनियम), 2017 के अधिनियम की धारा 158(सी) के अनुसार वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान

26/12/20

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० -

नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी। परन्तु आवेदक द्वारा लगान निर्धारण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त लगान निर्धारण किस आधार पर किया गया है।

(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार (चकबंदी निदेशालय) परिपत्र सं० – 02/86 पत्रांक 19–चक 3–1–10/86–1602–चक दिनांक 03.05.1986 के अनुसार बिहार सरकार को भी रैयत का ही दर्जा दिया गया है , राज्य का पक्ष सुने बिना खाता में सुधार करने का अधिकार चकबंदी पदाधिकारी को नहीं है।

(3) मौजा राजपुर का चक सम्पुष्ट है परन्तु Bihar consolidation of holding and prevention of fragmentation act.1956 की धारा 26 (क) के तहत उक्त मौजा अनाधिसूचित (Denotified) नहीं है। स्पष्टतः चकबंदी कार्रवाई पुष्टि नहीं हुई है जिसके आधार पर Right and title विपक्षी का नहीं बनता है।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो0 नेसार अहमद द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 03/12–13 अंकित कर जमाबंदी सं0 28/24 I कायम किया गया है जमाबंदी पंजी पर टिप्पणी अंकित है कि जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अपर समाहर्त्ता के यहाँ भेजा गया है। उक्त दाखिल खारिज का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया है। विपक्षी द्वारा अपने दावा के समर्थन से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने से उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही विपक्षी द्वारा स्वत्व वाद दायर करने संबंधित कोई साक्ष्य या सिविल न्यायालय का कोई अंतिम या अंतरिम आदेश भी वाद के विचारण के दरम्यान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है ,जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकुल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दी वाद सं0 84/2014–15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा–राजपुर, थाना सं0 – 07, खाता सं0 – 933, खेसरा सं0 – 3384 रकबा – 0.03 ए0 की जमाबंदी बुधन कहार पिता स्व0 सीताराम कहार ग्राम+पो0+थाना – राजपुर अंचल – राजपुर जिला – रोहतास के नाम से कायम है,का जमाबंदी सं0 – 28/24 I को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी रोहतास,सासाराम को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/12/20
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

26/12/20
अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक – 199/न्या0, दिनांक – 31/12/20

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी राजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिक्रमगंज स्थापना उप समाहर्त्ता रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० (NIC) को सूचनार्थ जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/12/20
अपर समाहर्त्ता
रोहतास, सासाराम।